



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 578/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्त साहिल व मुस्तकीम के कब्जे से ट्यूबैल से चोरी किया गया पंखा व मोटर बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2000/ रूपये नगद व चोरी में प्रयुक्त एक मो0सा0 एवं कबाडी युनुस के कब्जे से चोरी की गयी मोटर का करीब 02 किलोग्राम तांबे का तार बरामद ।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री मुकेश पुत्र श्री महेन्द्र निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद ने सूचना दी कि दिनांक 04/06/22 को अभियुक्त 1. साहिल 2. मुस्तकीम 3. इरशाद 4. बच्ची निवासीगण ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने बुआई पर ली हुई जमीन पर उसकी ट्यूबैल से एक पंखा, एक मोटर व एक केबिल चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 578/22 धारा 379 भादवि में पंजिकृत किया गया ।



#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के 578/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व मुस्तकीम के कब्जे से ट्यूबैल से चोरी किया गया पंखा व मोटर बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2000/ रूपये नगद व चोरी में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स एवं कबाडी युनुस के कब्जे से चोरी की गयी मोटर का करीब 02 किलोग्राम तांबे का तार बरामद किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411/413 भादवि की वृद्धि की गयी ।

#### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व मुस्तकीम ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों व हमारे दो साथी इरशाद व बच्ची ने मिलकर दिनांक 04/06/22 को ट्यूबैल से एक मोटर व पंखा चोरी किया था । हम दोनों ने मोटर साईकिल एचएफ

डीलक्स न0 UP-17Q-0270 पर रखकर मोटर व पंखा को मवीकलां कबाडी युनुस पुत्र बसीर निवासी नई बस्ती खेकडा की दुकान पर 3500/ रुपये में बेच दिया था। मोटर व पंखा बेचने से प्राप्त रुपये हम चारों साथियों ने आपस में बांट लिये थे। इरशाद व बच्ची गांव में ही थे। हम दोनों के हिस्से में 1000-1000 रुपये आये थे। हमसे जो रुपये बरामद हुए हैं वे वही रुपये हैं जो हमने मोटर व पंखा बेचकर प्राप्त किये थे तथा जो मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स न0 UP-17Q-0270 बरामद हुई है इसी मोटर साइकिल से मोटर व पंखा को रख कर कबाडी युनुस की दुकान पर बेच दिया था। चोरी का सामान खरीदने वाले कबाडी युनुस पुत्र बसीर निवासी नई बस्ती खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत को उसकी दुकान ग्राम मवीकलां से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की गयी मोटर का करीब 02 किलो तांबे का तार बरामद किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. साहिल पुत्र गुलफान निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. मुस्तकीम पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3. युनुस पुत्र बसीर निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

#### बरामदगी का विवरण –

- अभियुक्त साहिल व मुस्तकीम के कब्जे से ट्यूबैल से चोरी किया गया पंखा व मोटर बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2000/ रुपये नगद।
- चोरी में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स न0 UP-17Q-0270
- कबाडी युनुस के कब्जे से चोरी की गयी मोटर का करीब 02 किलोग्राम तांबे का तार।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री रामकुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 3.का0 243 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 4.का0 234 दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 09.06.22

**थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 15.05.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी श्री अमित कुमार पुत्र तरसेम निवासी कचरौली थाना पानीपत सदर जिला पानीपत हरियाणा ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त 1- अंकुर 2- राहुल निवासी गण ग्राम जौनमाना थाना बडौत 3- मंदीप निवासी जटवाडा सोनीपत हरियाणा 4- सुसु निवासी दिपालपुर सोनीपत हरियाणा ने कस्बा बडौत में मैडिकल की दुकान पर उसके साथ गाली-गलौच करते हुये वादी की मैडिकल की दुकान में रखा सामान व 55 हजार रुपये चोरी करना तथा ट्रैक्टर की टक्कर मारकर दुकान का सामान तोड़ना एवं सामान में आग लगा देना तथा जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 409/22 धारा 504,506,427,436,380 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट:-** उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-अंकुर पुत्र जितेन्द्र तोमर निवासी ग्राम जौनमाना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव

2- है0 का0 65 महीपाल सिंह



**प्रेस नोट**  
**थाना बिनौली**

**दिनांक 09-06-2022**

**थाना बिनौली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,  
जिनके कब्जे से एक ट्रक जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक ट्रक जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1- गुलजार पुत्र जमील निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली बागपत ।
- 2- रिजवान पुत्र जमील निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली बागपत ।
3. चालक परवेज आलम पुत्र इसफिल निवासी ग्राम मिर्जावाद थाना अरडिया जिला अरडिया बिहार ।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक ट्रक नम्बर WB-65D-7474
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 19 पशु ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उपनि० श्री कैलाशनाथ सिंह थाना बिनौली
- 2- है०का० 289 सतेन्द्र सिंह थाना बिनौली
- 3- हो०गा० 469 रमेश थाना बिनौली



प्रेस नोट  
थाना खेकड़ा

दिनांक 09.06.2022

**थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- प्रवीण पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम हसनपुर मसूरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान ।

2- का0 24 तरून कुमार

3-का0 1008 मिथुन कुमार



**प्रेस नोट**  
**थाना खेकड़ा**

**दिनांक 09.06.2022**

**थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर बरामद ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1- कपिल कुमार पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

**बरामदगी का विवरण-**

- 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (04 बोतल इम्पीरियल ब्लू व 02 बोतल रॉयल स्टैग) दिल्ली मार्का ।
- एक मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर नम्बर- DL-5SBY- 8621

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**थाना खेकड़ा पुलिस-**

1. उप0नि0 वृक्षपाल सिंह
2. का0 1082 राहुल यादव

**आबकारी टीम-**

1. श्रीमति सविता रानी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 बागपत
2. है0का0 अश्वनी कुमार
3. का0 आमिर खान



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 09.06.22

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- मोहित पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी रैदासपुरी बाल्मिकी चौक कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप०नि० विकुल कुमार
2. है०का० 292 सिराज खान
3. का० 774 धर्मेन्द्र सिंह